न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक ०६ / २०१६ सत्रवाद <u>सांस्थापित दिनांक 05–01–2016</u> मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

-अभियोजन

बनाम

नैनसिंह उर्फ नैना पुत्र रक्षपाल आदिवासी, उम्र 25 वर्ष, निवासी घियार नगर भरथना, थाना भरथना, जिला इटावा उत्तरप्रदेश।

-अभियुक्त

ALIMINI PRIENTS BUILT न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 1140/2015 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 06/2016 शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

> / / निर्णय / / //आज दिनांक 11-01-2017 को घोषित किया गया//

- आरोपी का विचारण धारा 363, 366(क) भा०दं०वि० के अपराध के संबंध में 01. किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 19.10.2015 के दोपहर 12 बजे वार्ड क्रमांक 1 छत्तरपुरा आदिवासी मोहल्ला गोहद में पीडिता जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी उसे उसके विधिपूर्ण संरक्षक उसके पिता की सम्मति के बिना ले गए/बहलाकर ले गया। उस पर यह भी आरोप है कि पीडिता जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की थी को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिल्ब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश किया जावेगा या उसे विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से उसका व्यपहरण किया।
- अभियोजन का प्रकरण सक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 19.10.15 को 02. फरियादी नरेश जो कि छत्तरपुरा वार्ड नम्बर 1 गोहद में निवास करता है के द्वारा उपस्थित

थाना आकर अपनी पुत्री जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी के गुम जाने और ढूंढने पर न मिलने तथा लडकी को नैनसिंह के द्वारा बहला/फुसलाकर कर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर से थाना गोहद में गुमइंसान सूचना 21/2015 दर्ज की गई। उसी दिन फरियादी के द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी लडकी पीडिता और छोटी लडकी घर में थी वह फेरी का सामान बैचने गया था उसकी पत्नी भी उसी के साथ थी। घर पर उसकी दोनो लड़िकयाँ थी। शाम को पांच बजे जब वह लोटकर घर आया तो बडी लडकी पीडिता घर पर नहीं मिली। उसे छोटी लडकी तथा मोहल्ले वालों ने बताया कि लड़की को नैनसिंह बहुलाफुसलाकर भगाकर ले गया है जो कि उसके पड़ोस के रहने वाले राजपाल का साला है। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोहद में आरोपी के विरूद्ध अप०क० 346 / 2016 धारा 363 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई। दौराने विवेचना घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। पीडिता की दस्तयावी दिनांक 24.10.2015 को बस स्टेण्ड गोहद से की गयी। पीडिता व अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, इस दौरान यह तथ्य आया कि आरोपी के द्वारा विवाह करने हेतु पीडिता को वहलाफुसलाकर अपने साथ ले जाना पाया गया जिस पर से धारा 366 भावदंवविंव का इजाफा किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 03. आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366(क) भा०दं०वि० का अरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए व्यक्त कर बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05. आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:--
 - 1. क्या अपहृता / पीडिता घटना दिनांक 19.10.2015 को 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिंग थी?
 - 2. दिनांक आरोपी के द्वारा दिनांक 19.10.2015 को दोपहर 12 बजे वार्ड कं. 1 छत्तरपुरा आदिवासी मोहल्ला गोहद में नावालिंग पीडिता को उसके पिता की विधिपूर्ण संरक्षिता से उसकी सम्मति के बिना ले गए/बहलांकर ले गया?

क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक या उसके करीब अपहृता जो कि 3. नावालिंग है को विवाह करने या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए उसका व्यपहर/अपहरण किया? नः सकारण निष्कर्षः— बिन्दु कमाक 1 :-सर्वप्राण

- सर्वप्रथम घटना की पीडिता के घटना के समय उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता के पिता नरेश अ०सा० 1 के द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र 17 वर्ष की होनी बताई है और इस बिन्दू पर अभियोजन साक्षी मंजू अ०सा० 2 जो कि पीडिता की मॉ है के कथन में भी घटना के समय पीडिता की उम्र 17 वर्ष की होनी बताई गई है। इस प्रकार पीडिता अ०सा० 3 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष की होनी बताई है। यह उल्लेखनीय है कि पीडिता के पिता नरेश अ०सा० 1 एवं मॉ मंजू अ०सा० 2 जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में पीडिता की उम्र 17 वर्ष की होनी बताई है उसे किसी प्रकार से कोई चुनौती प्रतिपरीक्षण में नहीं दी गई है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण उपरांत उक्त तथ्य अखण्डनीय रहा है।
- यद्यपि पीडिता की घटना के समय उम्र के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश कर अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं कराया, किन्तु पीडिता जो कि अनपढ़ एवं आदिवासी लडकी है, उसके माता-पिता भी अनपढ है, यदि वह विद्यालय नहीं जा पाई या उसके जन्म होने के संबंध में जन्म का कोई पंजीयन आदि नहीं कराया गया और इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की जा सकी है तो इससे कोई विपरीत अवधारणा इस संबंध में नहीं की जा सकती है।
- निश्चित तौर से जबिक पीडिता के माता पिता जो कि इस बिन्दू पर सर्वोत्तम साक्षी है दोनों के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में घटना के समय पीडिता की उम्र 17 साल की होनी बताई है, जिसे कि किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं दी गई है। यद्यपि इस संबंध में कोई सम्पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रमाणित नहीं कराया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि इस बिन्दू पर कोई दस्तावेज प्रमाणित नहीं कराया जा सका है उक्त तथ्य को अमान्य करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। पीडिता की उम्र जॉच के संबंध में उसका ऑसिफिकेशन टैस्ट रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि उसका ऑसिफिकेशन टैस्ट कराया जाना दर्शित होता है, किन्तु संबंधित रिपोर्ट के संबंध में चिकित्सक के कोई साक्ष्य कथन नहीं हुए है। ऐसी दशा में ऑसिफिकेशन टैस्ट रिपोर्ट के आधार पर पीडिता को घटना के समय 18

वर्ष से अधिक उम्र की होना मान्य करने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर घटना के समय पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिंग होने होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

बिन्दु क्रमांक 2 व 3:-

- 09. धारा 363 भाठदं०वि० जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षिता से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। व्यपहरण को धारा 361 भाठदं०वि० के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके लिए निम्न आवश्यक तथ्य है— (i) किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या विकृत्तचित्त व्यक्ति को। (ii) विधि पूर्ण संरक्षिता से ऐसे संरक्षक की सम्मित्त के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है। "धारा 366(ए) भाठदं०वि० के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी नावालिग स्त्री का व्यपहरण या अपहरण किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या विवश करने अथवा समभाव्य जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाना आवश्यक है।
- 10. पीडिता जो कि अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसे उसके पिता की संरक्षकता से ले जाने के संबंध में आरोपी पर आक्षेप लगाया गया है। इस बिन्दु पर पीडिता के पिता नरेश अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना दिनांक को वह और उसकी पत्नी ग्राम छरेंटा में थे, जब शाम को घर लौटकर आए तो लड़की (पीडिता) नहीं मिली और उसकी दूसरी लड़की पूजा ने बताया कि वह करीब 11–12 बजे से चली गई तथा पड़ोस में ढूंढ़ा तो वह कहीं नहीं मिली। मोहल्ले वालों ने बताया कि लड़की चली गई है और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वह आरोपी नैनसिंह के साथ चली गई है, फिर उसने अपनी लड़की के जाने की रिपोर्ट थाने में लिखाई थी। इस संबंध में गुमइंसान सूचना प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और थाने में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि पुलिस मौके पर आई थी और नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 3 है। उसकी लड़की 4–5 दिन बाद लौटकर आई थी। लड़की उसे सुपुर्दगी पर मिली थी, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 है।
- 11. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षिया मंजू अ०सा० 2 जो कि पीडिता की मॉ है आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताई है कि उसके पित और वह ग्राम छरेंटा में गए थे और शाम को लौटकर आए तो मोहल्ले वालों ने बताया कि उसकी लडकी नैनिसंह के साथ

चली गई थी। फिर उसके पति रिपोर्ट करने गए थे। बाद में लडकी उन्हें मिली थी। लडकी ने नैनसिंह के साथ अपनी बुआ के पास इटावा जाना बताया था।

- 12. इस प्रकार साक्षी नरेश अ०सा० 1 जो कि पीडिता का पिता है और जिसके संरक्षण में पीडिता घटना के समय रह रही थी के साक्ष्य कथन तथा साक्षी मंजू अ०सा० 2 जो कि पीडिता की मॉ है के कथन से यह स्पष्ट है कि पीडिता उन्हें घर में नहीं मिली थी और उनके संरक्षिता से कहीं चली गई थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी के द्वारा ही नावालिग पीडिता का व्यपहरण किया गया? क्या आरोपी के द्वारा विवाह करने हेतु विवश या बिलुब्ध करने के आशय से पीडिता का व्यपहरण किया गया?
- पीडिता अ०सा० 3 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि आरोपी नैनसिंह 13 जिसकी बहन उनके मोहल्ले में रहती है जो कि इटावा की रहने वाली है उसी के साथ वह इटावा अपनी बुआ के यहाँ चली गई थी। वह 4-5 दिन बाद बापस आई थी। उसके पिता के द्वारा गोहद थाना में रिपोर्ट की गई थी। वह थाने में आई थी, थाने में उसे दस्तयाव कर दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 6 का बनाया गया था और उसे उसके माता पिता को सौंपा गया था। अभियोजन के द्वारा पीडिता को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है। सूचक प्रश्नों के दौरान उसने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी उनके ही मोहल्ले के राजपाल का साला है और घटना के समय उनके ही मोहल्ले में रह रहा था, किन्तु इस बात से इन्कार की है कि आरोपी उसे शादी करने के लिए कहता था और इस बारे में बात करता था और इस बारे में भी कहता था कि उसके साथ चलो वह उसके साथ शादी करेगा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह कथन की है कि आरोपी ने उसे कभी शदी करने के लिए बहलाया / फुसलाया नहीं था। आरोपी की बहन उनके मोहल्ले में विहायी है और आरोपी का उनके यहाँ आना जाना था। उसने आरोपी से कहा था कि उसे बुआ के यहाँ इटावा छोड दो। वह अपनी मर्जी से बुआ के यहाँ इटावा गई थी और फिर स्वयं ही लौट आई थी। इस प्रकार पीडिता के कथन में कहीं भी आरोपी के द्वारा उसे ले जाने अथवा उसे बहलाकर ले जाने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है 🔥
- 14. उपरोक्त संबंध में पीडिता के पिता नरेश अ0सा0 1 जिसको भी अभियोजन के द्वारा इस संबंध में पक्षद्रोही घोषित किया गया है, उसके कथनों में भी पीडिता के द्वारा कहीं भी उसे आरोपी के द्वारा ले जाया जाने अथवा बहलाकर ले जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। साक्षिया मंजू अ0सा0 2 जिसे यद्यपि अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है और साक्षिया के द्वारा यह बताया गया है कि पीडिता ने उसे आरोपी के साथ

अपनी बुआ के पास इटावा जाना बताया था, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षिया भी यह बताई है कि पीडिता अपनी बुआ के यहाँ अपनी मर्जी से गई थी और बापस आ गई थी। आरोपी के द्वारा उसे किसी प्रकार से बहला/फुसलाकर नहीं लाया गया और न ही उसने अपने पुलिस कथन में आरोपी के द्वारा पीडिता को शादी करने के लिए बहला/फुसलाकर ले जाने की बात बताई थी। इस संबंध में पुलिस कथन प्र.डी. 1 के कथनों में उसके द्वारा न लिखाया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षिया जिसे कि घटना के पश्चात् पीडिता के द्वारा घटना के बारे में बताया जाना अभिकथित किया जा रहा है के साक्ष्य कथन में भी आरोपी के द्वारा पीडिता को ले जाने अथवा बहलाकर ले जाने की पुष्टि नहीं होती है।

- 15. अभियोजन साक्षी रामजीलाल अ०सा० 4 पक्षद्रोही रहा है, उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी जसबंतिसंह अ०सा० 5 जो कि दस्तयावी पंचनामा का साक्षी है, दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 6 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी के कथन के आधार पर भी मात्र दस्तयावी के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।
- 16. अभियोजन साक्षी एन.एल. शाक्य अ०सा० 6 जिनके द्वारा कि प्रकरण की विवेचना की गई है। घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गुमशुदगी दर्ज होने के पश्चात् उन्हें विवेचना हेतु प्राप्त होना, विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 तेयार करना एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना, पीडिता की दस्तयावी प्र.पी. 6 तैयार करना एवं उसे उसके माता पिता की सुपुर्दगी में देना जो कि सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 4 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 9 तैयार करना बताया है। इसके अतिरिक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन थाना प्रभारी रामनरेश यादव के द्वारा लेखबद्ध करना जिस पर बी से बी भाग पर रामनरेश यादव के हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी जो कि विवेचना की कार्यवाही का साक्षी है के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।
- 17. इस संबंध में एस.बरधराजन वि0 स्टेट ऑफ मद्रास ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 942 उल्लेखनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि नावालिंग अपना घर छोड़ती है और उसके घर छोड़ने में आरोपी का कोई सकीय कृत्य नहीं है तो मात्र इस आधार पर कि वह आरोपी के साथ गई वह उसे ले जाने अथवा बहकाकर ले जाने की परिधि में नहीं आएगा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में भी आई हुई साक्ष्य से कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा पीड़िता को अपने साथ ले जाने हेतु कोई सकीय भूमिका निभाई हो। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी

के द्वारा पीडिता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षिता से ले जाने अथवा उसे बहकाकर ले जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। आरोपी के द्वारा पीडिता को अयुक्त संभोग हेतु विवश या विलुब्ध किये जाने अथवा उसे विवाह करने हेतु विवश विलुब्ध करने हेतु ले जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं आई है।

18. विचारोपरांत प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरांत आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। आरोपी को आरोपित अपराध धारा 363, 366(क) भाठदंठविठ के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला–भिण्ड म०प्र०

्यः, सत्र न्यः । त्रांतिकार्थः । त्रांतिकार्यः । त्रांतिकार्थः । त्रांतिकार्थः । त्रांतिकार्थः । त्रांतिकार्यः । त्रांतिकार्य (डी0सी0थपलियाल) गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र0